राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20457/2019

अमित गुप्ता एच.यू.एफ., जिसका पता 105, राम गली नंबर 6, एवीएम स्कूल के पास, राजा पार्क, जयपुर 302004 राजस्थान राज्य में है, जरिये इसके कर्ता श्री अमित गुप्ता।

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 6(5), जयपुर, जिसका पता न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, भगवान दास रोड, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान राज्य ।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री सिद्धार्थ रंका के साथ
सुश्री अपेक्षा बापन्ना

प्रतिवादी की ओर से : श्री संदीप पाठक के साथ
श्री अर्णव सिंह

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान प्रमिल कुमार माथुर

आदेश

11/02/2025

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

---

1. यह याचिका निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू करने से व्यथित होकर दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने 30.06.2014 को निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विवरणी दाखिल की। मामले को जांच के लिए चुना गया और अधिनियम की धारा 143(3) के तहत आदेश 18.03.2016 को पारित किया गया। अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने 27.03.2019 के नोटिस के अनुसरण में विवरणी दाखिल की और कारण प्रदान किए जाने के बाद, 07.11.2019 को आपत्तियां दाखिल की गईं। अधिनियम की धारा 142(1) के तहत जारी नोटिस के साथ, याचिकाकर्ता की आपत्तियों से निपटते हुए एक अनुलग्नक संलग्न किया गया था।

3. उठाई गई शिकायत यह है कि आपत्तियों का कारणयुक्त आदेश द्वारा निस्तारण नहीं किया गया। यह कहते हुए आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया कि नोटिस जारी किए जाने पर याचिकाकर्ता ने विवरणी दाखिल कर दी थी।

4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जीकेएन **ड्राइवशाफ़्ट (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य** के मामले में प्रतिपादित निर्णय पर, जो **259 आईटीआर, पृष्ठ 19** में प्रकाशित है, निर्भरता व्यक्त की गई है।

5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियां स्वीकार किए जाने योग्य नहीं थीं, इसलिए उन्हें अस्वीकार कर दिया गया।

6. आगे बढ़ने से पहले, जीकेएन **ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** (उपरोक्त) के मामले में पारित निर्णय के प्रवर्तन योग्य भाग को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा।

> "5. हम चुनौती के तहत आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं देखते हैं। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि जब आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया जाता है, तो नोटिस पाने वाले के लिए उचित कार्यवाही यह है कि वह विवरणी दाखिल करे और यदि वह चाहे, तो नोटिस जारी करने के कारण मांगे। निर्धारण अधिकारी उचित समय के भीतर कारण बताने के लिए बाध्य है। कारण प्राप्त होने पर, नोटिस पाने वाला नोटिस जारी करने पर आपत्तियां दाखिल करने का हकदार है और निर्धारण अधिकारी एक सकारण आदेश पारित करके उनका निस्तांरण करने के लिए बाध्य है। वर्तमान मामले में, चूँकि इन कार्यवाहियों में कारणों का प्रकटीकरण किया जा चुका है, इसलिए आकलन अधिकारी के लिए आवश्यक है कि उक्त पाँचों निर्धारण वर्षों के संबंध में निर्धारण की कार्यवाही आगे बढ़ाने से पूर्व, यदि आपत्तियाँ दाखिल की गई हैं, तो उनका कारणयुक्त आदेश पारित करके निस्तारण करे।
>
> 6. जहां तक आयुक्त (अपील) के समक्ष निर्धारण के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों का सवाल है, हम अपीलीय प्राधिकारी को उनका शीघ्रता से निपटारा करने का निर्देश देते हैं।
>
> 7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, सिविल अपीलें खारिज की जाती हैं।"

7. याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में विवरणी दाखिल की और कारण प्रदान किए जाने पर, आपत्तियां दाखिल की गईं। अधिनियम की धारा 142 के तहत जारी नोटिस के साथ संलग्न अनुलग्नक एक सकारण आदेश नहीं है और उसने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटारा नहीं किया है।

8. मामला कानून के अनुसार आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी को वापस प्रेषित किया जाता है।

9. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

10. आगे की देरी से बचने के लिए, याचिकाकर्ता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिवादी के कार्यालय में 24.02.2025 को सुबह 11:00 बजे उपस्थित हों।

(प्रमिल कुमार माथुर), J **(अवनीश झिंगन), J**

रिया/32

संप्रकाशनीय : **हाँ**

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकरिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"